न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 9/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/82

अनवान

1. शिवलाल पिता चम्पा जाट निवासी माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल काबरा निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. रामपाल पिता रामजस मालु (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. खनिज अभियन्ता खान भुविज्ञान विभाग कार्यालय आजाद नगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पटवार हल्का पटवार क्षेत्र मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेश दाद्दीच – अधिवक्ता प्रार्थी
2. फारूख मोहम्मद मन्सूरी, शिवसिंह चारण – अधिवक्ता विपक्षी 1, 2

निर्णय

दिनांकः– 12/2/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर में निम्न कृषि सहहिस्सेदार की कृषि आराजियात संख्या 811 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 842 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 844 रकबा 0.72 है0, आराजी संख्या 845 रकबा 1.34 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.44 है0 भूमि स्थित है।
2. उक्त वर्णित आराजियात अविभक्त कृषि आराजियात है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है व विपक्षी संख्या 1 व 2 का 3/4 हिस्सा निहित है तथा उक्त आराजियात का विभाजन नही हुआ है। सहहिस्सेदारी की भूमि में सभी हिस्सेदारो का प्रत्येक इन्च पर बराबर हक व हिस्सा होता है। लेकिन विपक्षी सं एक व दो की नियत में बदनियती आ गई जिससे अनाधिकृत अवैध रुप से कृषि भूमि पर जबरन खुदाई करने लग गये कृषि भूमि में बड़े खड्डे कर दिये, मोके पर माईनिंग करने से कृषि भूमि उपयोग विहीन हो रही है, जबकि खातेदारी अधिकार धरातल (सरफेस लेवल) के अधिकार है, भूमि के अन्दर स्वामी राज्य सरकार है। किसी भी खातेदार को अवैध रुप से कृषि भूमि पर बिना माईनिंग लिज कराये माईनिंग करने का अधिकार नही है, मोके पर अवैध माईनिंग करने से राज्य सरकार को भी भारी आर्थिक क्षति हो रही है, व विपक्षी सं० 3 व 4 का दायित्व है कि अवैध माईनिंग को रोके उक्त भूमि में से फैल्सफार, सोडा आदी जबरन लेजा रहे है। मोकेपर बडी केने व उपकरण लगा दिये जिससे कृषि भूमि उपयोग विहीन हो रही है किसी भी सहहिस्सेदार को अधिकार नही है कि ऐसा कृत्य करे जिससे दुसरे

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

हिस्सेदारो का हक व अधिकार प्रभावित हो। व प्रार्थी को अपने 1/4 हिस्से के अधिकारो से वंचित हो रहा है, तथा विपक्षी सं. एक व दो को इस प्रकार अवैध रुप से बिना माईनिंग विभाग माईनिंग लिज के बिना स्वीकृति के माईनिंग करने का अधिकार नही है सरकार को आर्थिक क्षति हो रही है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है।

3. वादवर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 व 2 मोके पर माईनिंग करके फैल्सपार, सोडा आदि जबरन ले जा रहे है व बिना लीज माईनिंग कर रहे है जिससे राज्य सरकार को भारी क्षति हो रही है तथा मोकेपर मशीने लगा रखी है तथा प्रार्थी की बिना सहमति के जबरन ताकत के बल पर सामालाती भूमि में माईनिंग कर रहे है जिन्हे अगर नही रोका जाता है तो प्रार्थी अपने हकों से महरूम हो जायेगा व प्रार्थी को अपुरर्णीय क्षति होगी जिसकी पुर्ति किसी भी प्रकार से सम्मंव नही है, तथा पक्षकारो में गुणात्मक कार्यवाहीयां व वाद बहुलता बढेगी व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया मामला है। जिससे न्यायहीत में ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है।

4. अतः निवेदन है कि न्यायहीत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय कि अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी फरमायी जावे कि प्रार्थना पत्र कि चरण सं. एक में वर्णित आराजियात विपक्षी सं० एक व दो अवैध रुप से कोई भी माईनिंग नही करे, तथा ऐसा कृत्य नही करे जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पडे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नही करे, न ही उक्त भुमि में खड्डे करे, मशीन केने लगावे, न ये कृत्य स्वयं करे, न ही अपने नोकरो ऐजेन्टो व परिजनो से करावे, व भुमि पुर्व कि भांति समतल करे।

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 के अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

6. विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि भूमियां सामलाती दर्ज होना अंकित है स्वीकार है। हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अवैध खनन नही किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा खनन लीज स्वीकृत करवा कर खनन किया जा रहा है उक्त लीज में सहमति लिखित रूप से निष्पादित की इसके उपरान्त ही उक्त भूमि पर खनन विभाग से लीज स्वीकृत हुई है जिसकी प्रति पेश है। प्रार्थी, विपक्षीगण को भूमियां सामलाती दर्ज होने से जलील व परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया एवं तथ्य गलत अंकित किए है। प्रार्थी विपक्षीगण को गलत रूप से तथ्य बताकर वैध लीज पर रोक लगाना चाह रहे है तथा विपक्षीगणो के विरुद्ध अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया है। उक्त स्थगन की आड़ में विपक्षी अपनी वैध लीज में खनन कार्य नही कर पा रहे है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को आराजी संख्या 811, 842, 844, 845 किता 4 कुल रकबा 2.44 है0 मे से 3/4 हिस्सा प्रतिफल अदा कर दिनांक 02.01.2007 को विक्रय पत्र निष्पादित किया एवं कब्जा सिपूर्द किया। विपक्षी

ने उक्त भूमि का विभाजन कराने का वादपत्र पूर्व में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। दिनांक 19.01.2007 को आराजी संख्या 843, 846, 847, 848, 850, 851, 852 कुल किता 8 कुल रकबा 1.52 है0 भूमि का सहमति पत्र विपक्षीगण के पक्ष में निष्पादित किया। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2077 व सहमति पत्र दिनांक 19.01.2007 को निष्पादित होने के उपरान्त खनन लीज विपक्षी संख्या 3 से वैध एवं नियमानुसार जारी करवाई उक्त लीज की भूमि डिर्माकेशन की गई तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा एम.एल. न. 579/2006 मेसर्स विनायक मिनरल के नाम जारी करवाई एवं दिनांक 27.06.2008 को डिर्माकेशन हो स्वीकृत की गई। प्रार्थी द्वारा न्यायालय को मुगालते में रखकर गलत तथ्य अंकित कर अंतरिम स्थगन जारी करवाया है। उक्त अन्तरित स्थगन आदेश विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्व खारीज किया जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

7. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण के साथ संलग्न जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजियात के खनन क्षेत्र होने का कोई नोट अंकन नही है। वादी का वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजियात में अवैध माईनिंग हो रही है। काश्तकारी अधिकार केवल सरफेस लेवल के अधिकार है। माईनिंग लीज डीड में विवादित आराजियात नही शामिल नही है। माईनिज लीज डीड के लिए वादी की आरे से कथित सहमति पत्र पंजीकृत होना चाहिए। सहमति पत्र में विवादित आराजियात का अंकन नही है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 89 के अन्तर्गत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के पास प्रकरण जाना चाहिए एवं कलक्टर महोदय के मुआवजा तय करने के पश्चात् खनन कार्य किया जाना चाहिए। प्रकरण में मूलवाद निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

8. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि दिनांक 26.08.2023 को वादी द्वारा धारा 188 का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का पेश किया गया। न्यायालय में धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन का वादपत्र पहले से ही चल रहा है जिसमें वर्तमान प्रकरण के वादी, प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित है। पूर्व के धारा 53 के वाद की तामील होते ही वादी धारा 188 का वाद लेकर आया है। सर्म्पूण वादग्रस्त आराजियात के 3/4 हिस्से के हिस्सेदार विपक्षीगण है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी से ही वादग्रस्त आराजियात खरीदी गई है। सहमति के आधार पर लीज के बाद खनन कार्य किया जा रहा है। सहमति पत्र में आराजी संख्या 842, 844, 845 का अंकन है। आराजी संख्या 811 रकबा कम होने से माईनिंग लीज में नही आया है और उक्त आराजी में स्वीकृती नही हो पाई है। धारा 89 के प्रावधान बिलानाम आराजी पर लागु होते है। वैध सहमति से लीज कराकर खनन कार्य किया जा रहा है। धारा 53 के अन्तर्गत वाद का निर्णय कर विभाजन करवाया जा सकता था वादी को धारा 188 के अन्तर्गत वाद लाने की आवश्कता नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो ही बिन्दु विपक्षी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा प्रार्थी का है। वर्ष 2015 से पहले खनन के लिए दी गई सहमति का पंजीकृत होना आवश्यक नही था। मूलवाद में दिनांक 23.10.2024 के फोटो लगे है, लगे हुए फोटो से पता चलता है कि

खनन कार्य काफी समय से हो रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाए। धारा 53 का प्रकरण संख्या 77/22 को गति दी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाए। फर्जी सहमति के लिए कोई आपराधिक प्रकरण या ऐसा कोई कदम नही उठाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाए।

9. विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः प्रतिउत्तर में निवेदन किया कि माईनिंग लीज कानूनी रूप से वैध है। वादी द्वारा पूर्व में न्यायालय में लम्बित धारा 53 के विभाजन के वाद में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर रखा है। सहमति पत्र पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नही है। क्या एक सहखातेदार दुसरे सहखातेदार के अधिकारो का हनन कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 89 के प्रावधान हर प्रकार की कृषि आराजियात पर लागु होते है। मंगरी पर भी काश्तकारी अधिकार लागु होते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

10. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादग्रस्त आराजियात की जमाबन्दी के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की सहखातेदारी आराजियात है जिसमें प्रार्थी 1/4 व विपक्षीगण का 3/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है। वर्तमान प्रकरण के प्रतिवादीगण ने पूर्व में न्यायालय हाजा में विभाजन का वाद दायर कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 77/22 है। खनन लीज वर्तमान प्रकरण के विपक्षीगण द्वारा करवाई गई है। विभाजन से पूर्व प्रत्येक खातेदार का आराजियात के प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है। खनन कार्य से भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा ऐसा परिवर्तन होने से भूमि पुनः अपने पूर्व स्वरूप में वापस नही आ सकती है। ऐसे में खातेदार को अपूर्णीय क्षति होती है। यदि वादग्रस्त आराजियात पर विभाजन से पूर्व खनन कार्य किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं विभाजन के वाद के निर्णय में भी अनावश्यक विलम्ब होगा। प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द या खनन कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 77/2022 अर्न्तगत धारा 53 विभाजन का वाद पूर्ववर्ती वाद है तथा प्रकरण संख्या 51/2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का पश्चात्वर्ती वाद है एवं दोनो ही वादों में पक्षकार समान है। पश्चात्वर्ती वाद का निर्णय पूर्ववर्तीवाद के निर्णय से प्रभावित रहेगा। ऐसे में सीपीसी की धारा 10 से पश्चात्वर्ती वाद प्रभावित है।

सीपीसी की धारा 10 के अनुसार " कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिसने व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नही करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है। "

सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 की धारा 10 के अनुसार, यदि किसी सक्षम न्यायालय में समान पक्षों के बीच पहले से चल रहे मुकदमे में विवादित मुद्दा प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से लंबित है, तो बाद में दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है। इसका उद्देश्य कई मुकदमों को रोकना और परस्पर विरोधी निर्णयों से बचना है।

धारा 10 और समेकन के प्रमुख पहलूः–एक ही विषय वस्तु वाले मुकदमों में समानांतर सुनवाई और विरोधाभासी निष्कर्षों को रोकना। स्थगन की शर्तेंः दो मुकदमे मौजूद हैं, उनमें वही पक्ष शामिल हैं, मामला प्रत्यक्ष/सारतः समान है, और पहला मुकदमा लंबित है।

अंतर्निहित शक्तिः–न्यायालयों के पास साक्ष्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मुकदमों को समेकित करने का विवेक है, भले ही सीपीसी की सभी धाराओं में इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान न हो।

अतः वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के प्रकरण संख्या 51/2025 पश्चात्वर्ती होने से पूर्ववर्ती वाद प्रकरण संख्या 77/2022 अन्तर्गत धारा 53 के निर्णय से प्रत्यक्षतः एवं सारतः प्रभावित है। तथा पश्चात्वर्ती वाद में पूर्ववर्ती वाद के निर्णय के आधार पर न्यायिक प्रकिया आगे बढ़ाया जाना न्यायोचित है। ऐसे में प्रकरण संख्या 51/2025 को पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 77/2022 के साथ सलग्न करते हुए प्रकरण में आगामी कार्यवाही पूर्व प्रकरण के निस्तारण तक रोका जाना उचित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 77/2022 विभाजन के वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर पूर्ववती विभाजन वाद प्रकरण संख्या 77/2022 के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम माण्ड का खेड़ा तहसील रायपुर में निम्न कृषि सहहिस्सेदार की कृषि आराजियात संख्या 811 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 842 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 844 रकबा 0.72 है0, आराजी संख्या 845 रकबा 1.34 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.44 है0 भूमि पर उभयपक्ष किसी प्रकार से कोई भी माईनिंग नही करे, तथा ऐसा कृत्य नही करे जिससे उभयपक्ष की खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पडे व खातेदार एक दूसरे के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नही करे, न ही उक्त भुमि में खड्डे करे, मशीन केने लगावे, न ये कृत्य स्वयं करे न ही अपने नोकरो ऐजेन्टो व परिजनो से करावे। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/26 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा